



उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. Council of Agricultural Research

अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010

पत्रांक:612/एनआरएम/डब्ल्यूएसएलएएजी/पीएल/2021

दिनांक: 08.08.2024

दिनांक : 08 अगस्त, 2024

समय : 12:00 बजे

स्थान : उपकार सभाकक्ष

उपस्थिति : संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024-25 की तेरहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियाँ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024-25 की तेरहवीं बैठक डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 08 अगस्त, 2024 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के राईस ब्रीडर व मौसम वैज्ञानिक; गन्ना विभाग; पशुपालन विभाग; मत्स्य विभाग; उद्यान विभाग तथा उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, लखनऊ के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक; बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा के मौसम वैज्ञानिक; रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के तिलहन वैज्ञानिक तथा केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र) लखनऊ के वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

मौसम पूर्वानुमान का प्रथम सप्ताह (09 से 15 अगस्त, 2024)

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में सुवितरित वर्षा के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ-साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान भाभर तराई क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पश्चिमी भाग को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

मौसम पूर्वानुमान का द्वितीय सप्ताह (16 से 22 अगस्त, 2024)

इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के कृषि जलवायु अंचलों में अच्छे क्षेत्रीय वितरण के साथ अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ-साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान भाभर तराई क्षेत्र के अधिकांश भाग एवं उत्तरी-पूर्वी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

मानसून ऋतु (01 जून से 08 अगस्त, 2024) के दौरान उत्तर प्रदेश में 371.9 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत 416.4 के सापेक्ष कुल 371.9 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य से 11 प्रतिशत कम है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में 443.7 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 15 प्रतिशत कम कुल 377.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 378.3 मि.मी. के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 4 प्रतिशत कम कुल 364.3 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई। मानसून ऋतु के दौरान अभी तक प्रदेश के महारागंज जनपद में सर्वाधिक 755.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

कृषि विभाग से दिनांक 07 अगस्त, 2024 तक प्राप्त आच्छादन आंकड़ों के अनुसार कुल खरीफ फसलों के लिये निर्धारित लक्ष्य 102.05 लाख हे. के सापेक्ष 99.54 लाख हे. की बुवाई की जा चुकी है जो लक्ष्य का 97.55 प्रतिशत है। धान के लक्ष्य 61.02 लाख हे. के सापेक्ष 61.02 लाख हे. की पूर्ति की जा चुकी है जो लक्ष्य का 99.66 प्रतिशत है, मक्का फसल लक्ष्य 8.81 लाख हे. के सापेक्ष 8.13 लाख हे. की बुवाई, ज्वार में 2.99 लाख हे. के सापेक्ष 2.91 लाख हे. की बुवाई, बाजरे के लक्ष्य 10.61 लाख हे. के सापेक्ष 9.72 लाख हे., अरहर लक्ष्य 3.68 लाख हे. के सापेक्ष 3.43 लाख हे., उर्द के लक्ष्य 7.57 लाख हे. के सापेक्ष 6.78 लाख हे., मूंग लक्ष्य 0.50 लाख हे. के सापेक्ष 0.45 लाख हे., मूंगफली लक्ष्य 1.32 लाख हे. के सापेक्ष 2.67 लाख हे., श्री अन्न 0.63 लाख हे. के सापेक्ष 0.49 लाख हे. तथा तिल लक्ष्य 4.25 लाख हे. के सापेक्ष 3.45 लाख हे. की बुवाई की जा चुकी है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले दो सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:-

- धान के जल प्लावित खेतों से पानी की निकासी की व्यवस्था करें तथा गले हुए पौधों की जगह पर नये पौधों की रोपाई करें ताकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या कम न होने पाये और अच्छी पैदावार प्राप्त हो।
- जिन क्षेत्रों में सामान्य से काफी कम वर्षा हो रही है वहां पर उपरहार वाले क्षेत्रों में धान की फसल के स्थान पर सीमित सिंचाई उपलब्धता की दशा में कम समय में तैयार होने वाली बाजरा की संकुल प्रजातियां तथा उर्द/मूंग की बुआई प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। यदि संभव हो तो बाजरे की फसल में मूंग/उर्द की सहफसली खेती की जाय जिससे जोखिम की संभावना कम रहे।
- दलहनी एवं तिलहनी फसलों में जल भराव न होने दें, जल निकास का उचित प्रबन्ध करें।
- भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिये वर्षा जल का संचय करें। वर्षा जल का जल संचयन एवं खेतों की नमी बनाये रखने के लिये खेतों पर मेड़बंदी करें।
- मानसून ऋतु में प्रदेश में तड़ित झंझावात के साथ वज्रपात की संभावना अधिक होती है अतः सभी किसान भाई इसकी समय से पूर्व चेतावनी प्राप्त करने के लिये अपने मोबाईल में दामिनी तथा सचेत ऐप डाउनलोड करें तथा इसके द्वारा प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतें, जिससे जान माल के नुकसान से बचा जा सकें।

धान की खेती

- जून के दूसरे पखवाड़े में रोपे गये धान में दूसरी टाप ड्रेसिंग नत्रजन की कुल मात्रा का 25 प्रतिशत रोपाई के 45-50 दिन बाद और जुलाई के प्रथम सप्ताह में रोपे गये धान में पहली टाप ड्रेसिंग नत्रजन की कुल मात्रा का 25 प्रतिशत रोपाई के 25-30 दिन बाद यूरिया से करें। जलभराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी के बाद ही टापड्रेसिंग करें।
- धान की लंबी अवधि की प्रजातियों में यूरिया की टापड्रेसिंग तीन बार में बराबर मात्रा से 20 दिन के अंतराल पर करें।
- संकरी, चौड़ी पत्ती व मोथा खरपतवारों के नियंत्रण हेतु रोपाई के 15-20 दिन बाद नमी की स्थिति में बिसपाइरीबैक सोडियम 10 प्रतिशत एस.सी. 0.20 ली. प्रति हे. 500 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- धान में हरा, भूरा एवं सफेद पीठ वाला फुदका तथा पत्ती लपेटक कीट के नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड 20 प्रतिशत एस.पी. 100 ग्राम अथवा कार्बोफ्यूथ्रान 3 सी.जी. 25 किग्रा. (3-5 से.मी. स्थिर पानी में) अथवा फिप्रोनिल 0.3 जी.आर. 20 कि.ग्रा. (3-5 से.मी. स्थिर पानी में) प्रति हे. की दर से 500-600 ली. पानी में बुरकाव/घोलकर छिड़काव करें।
- यदि हिस्पा के दो प्रौढ़ कीट या दो ग्रसित पत्ती प्रति हिल दिखाई दे तो बाईफेन्थिन 10 प्रतिशत ई.सी. 500 मि. ली./हे. अथवा क्यूनालफॉस 25 ईसी. 1.50 ली./हे. की दर 500-600 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।

मक्का की खेती

- मक्के की फसल अधिक पानी के प्रति संवेदनशील है अतः खेत में अधिक पानी की दशा में जल निकासी की व्यवस्था करें।
- मक्का की बुवाई के 45-50 दिन बाद (सिल्विंग स्टेज) नत्रजन की कुल संस्तुत मात्रा की एक चौथाई टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें।
- मक्का में तना छेदक के 10 मृत गोम होने पर कार्बोफ्यूथ्रान 3 जी 25 किग्रा. अथवा डाईमैथोएट 30 प्रतिशत ई. सी. 1.0 ली. प्रति हे. अथवा क्यूनालफॉस 25 प्रतिशत ई.सी. 1.50 ली. का प्रति हे. बुरकाव/500-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- मक्के में फाल आर्मी वर्म का प्रकोप होने पर 10 से 20 प्रतिशत क्षति की अवस्था में प्रभावी नियंत्रण हेतु क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल 18.5 प्रतिशत एस.सी. 0.4 मिली. प्रति लीटर पानी अथवा स्पाइनोसैड 0.3 मिली. प्रति लीटर पानी अथवा थायामेथाक्सॉम 12.6 प्रतिशत+लैम्ब्डासाइहैलोथिन 9.5 प्रतिशत 0.5 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।

श्री अन्न की खेती

- बाजरा की उन्नतशील संकुल किस्मों यथा धनशक्ति, आई.सी.एम.बी.-155, डब्लू.सी.सी.-75, न.दे.पफ.बी.-3 (नरेन्द्र चारा बाजरा-3), राज-171 तथा संकुल किस्मों 86 एम. 84, आई.सी.एम.एच.-451, पूसा-322 तथा पूसा-23 की बुवाई अगस्त के प्रथम पखवारे में समाप्त करें।

दलहनी फसलों की खेती

- अरहर में पत्ती लपेटक का प्रकोप दिखाई देने पर डाईमिथोएट 30 ई.सी. 1 लीटर या मोनोक्रोटोफास 36 एस. एल. 750 मिली. प्रति हे. की दर से 500-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- उर्द की किस्मों आजाद उर्द-1, आजाद उर्द-2 (हरा दाना), शेखर-1, शेखर-2, आई.पी.यू.-94-1 (उत्तरा), टा-27 तथा टा-65, आईपीयू 11-02, आईपीयू 13-1, पंत उर्द-9, पंत उर्द-8, पंत उर्द-12 की बुवाई यथाशीघ्र समाप्त करें एवं मूंग की किस्मों नरेन्द्र मूंग-1, सम्राट, मालवीय जन चेतना, टी.एम.-9937, मालवीय जन कल्याणी, एम.एच.-215, आई.पी.एम. 2-3, श्वेता, स्वाति, विराट, आई.पी.एम. 2-14, आजाद मूंग-1, पूसा 14-31, मेहा 99-125, वर्षा, कनिका की बुवाई करें।
- यदि बीज शोधित न हो तो बीज को 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 2.0 ग्रा. थीरम से प्रति कि.ग्रा. की दर से शोधित करने के बाद उर्द/मूंग के राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 कि.ग्रा. बीज का उपचार करें।

तिलहनी फसलों की खेती

- सोयाबीन की फसल में पत्तियों को काटने वाले कीट, रस चूसक तथा गर्डल वीटिल का प्रकोप होने पर क्यूनालफास 25 ई.सी. 1.5 लीटर अथवा इथियान 50 ई.सी. 1.5 लीटर 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- तिल में रोएंदार सूँड़ी (विहार हेयरी कैटर पिलर) का प्रकोप होने पर प्रारम्भिक अवस्था में अण्ड समूह/सूँड़ियों को पत्तियों सहित तोड़कर केरोसिन युक्त पानी में डालकर नष्ट कर दें अथवा क्यूनालफास 25 ई.सी. 1.5 लीटर 500-600 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।

गन्ना की खेती

- प्रथम बधाई हेतु गन्ना जब लगभग 5 फुट का हो जाये तो 2 फुट की ऊँचाई पर गन्ने की लाइनों में प्रत्येक क्लम्प को नीचे की सूखी पत्तियों से बांध दें। द्वितीय बधाई प्रथम बधाई के 15 से 20 दिन बाद उसी गन्ने में 50 सेमी ऊपर सूखी पत्तियों से प्रत्येक क्लम्प की बंधाई करें तथा तीसरी केंची बंधाई अगस्त के अंत तक अवश्य कर दें।
- खेत में अत्यधिक जलभराव की स्थिति में जल निकास की व्यवस्था करें।
- पोक्का बोइंग रोग के नियंत्रण हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 0.2 प्रतिशत अथवा कार्बेन्डाजिम 0.1 प्रतिशत का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करें।
- लालसड़न रोग के लक्षण गन्ने की पत्तियों की मध्य शिरा के पिछले भाग पर दिखने पर पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। उखाड़े गये स्थान पर ट्राइकोडर्मा से उपचार करें तथा बचाव हेतु मिथाइल 0.2 प्रतिशत की ड्रेचिंग करें।
- बेधक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिये 50 हजार ट्राइकोग्रामा अंड युक्त ट्राइकोकार्ड प्रति एकड़ लगायें। कार्ड टुकड़ों में काटकर पत्तियों की निचली सतह पर नथी कर दें। यह कार्य 10 दिनों के अंतराल पर दोहरायें।
- पायरीला का प्रकोप होने पर तथा परजीवी (इपीरिकेनिया मेलानोल्यूका) न पाये जाने की स्थिति में क्यूनालफास 25 प्रतिशत घोल 0.80 ली. प्रति हे. 625 ली. पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

सब्जियों की खेती

- खीरा, ककड़ी, लोबिया, करेला, लौकी, पेठा, भिण्डी, चोलाई, भिण्डी और मूली की बुवाई कर सकते हैं।
- खरीफ मौसम में कद्दूवर्गीय सब्जियों की खेती 6 से 8 फुट की ऊँचाई पर मचान विधि से करना चाहिये।
- टमाटर तथा फूलगोभी की अगेती किस्मों अर्ली कुवारी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पंत गोभी-3, पूसा दीपाली आदि किस्मों की नर्सरी तैयार करें।
- खरीफ मौसम में लोबिया की खेती करने के लिये 15 से 20 कि.ग्रा. बीज प्रति हे. पर्याप्त होता है बुवाई करने से पहले बीजों को राइजोबियम जीवाणु से उपचारित कर लेना चाहिये।
- खरीफ ऋतु की सब्जियों के बीज को ट्राइकोडर्मा पाऊडर 5 से 6 कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करके बुवाई करें।

- बैंगन की फसल को तना और फलबेधक कीट से बचाव के लिये क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल रसायन की 1.0 मिली. मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
- बैंगन की फसल में फाईमोप्सिस ब्लाइट फलसड़न से बचाव के लिये थायोफिनेट मिथाइल की 1.00 से 1.50 मि.ली. मात्रा/ली. पानी के साथ घोल 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। फलों की तुड़ाई के बाद स्प्रे करें एवं अगली तुड़ाई 15 दिन बाद करें।
- पौधशाला हेतु ऊंचे एवं ढालू स्थान का चयन करें जिससे वर्षा के पानी का निकास आसानी से हो सकें।
- हल्दी एवं अदरक में जल निकास का प्रबंध रखें तथा संस्तुति के अनुसार नत्रजन का प्रयोग करें।
- इस समय सब्जियों में कीड़ों का प्रकोप सर्वाधिक होता है। अतः इससे बचाव हेतु नीम आधारित उत्पादों, वर्मीवाश अथवा मैलाथियान 50 ई.सी. की 1 ली मात्रा 500 से 600 ली पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

बागवानी

- केले के नवीन बाग लगाने हेतु ऊतक संबंधित रोगरोधी जी-9 प्रजाति लगायें।
- केले में एक तलवार पुत्ती को छोड़ते हुए शेष पुत्तियों की कटाई करें तथा फल वाले पौधों में स्टेकिंग (सहारा) दें।
- केले में 50 से 60 ग्राम यूरिया 100 से 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे की दर से देकर गुड़ाई करें तथा बगल से निकलने वाली पुत्तियों की कटाई करें।
- फलों के बाग में जल निकास की उचित व्यवस्था करें जिन किसानों को आम अमरुद लीची आंवला कटहल नींबू जामुन बेर केला के नये बाग लगाने है उनका रोपण करें।
- आम में शूट गाल सिला एवं टेंट कैटरपिलर की रोकथाम हेतु क्यूनॉलफॉस अथवा डाईमेथोएट (2 मि.ली./ली. पानी) का छिड़काव करें।
- आम में रेड रस्ट एवं ऐन्थ्रकनोज के नियंत्रण के लिये कॉपरआक्सी क्लोराईड (3 ग्राम/लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- अमरुद में फल सड़न से बचाव हेतु मैकोजेब (2 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- आँवले में फल सड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स (6-8 ग्राम/ली. पानी) का छिड़काव करें तथा उर्वरकों की संस्तुत मात्रा का थालों में प्रयोग करें।

पशुपालन

- खुरपका एवं मुहपका (एफ.एम.डी.) बीमारी का टीकाकरण 30 अगस्त तक 60 जनपदों में तथा गलाघोटू बीमारी का टीकाकरण 15 अगस्त तक प्रदेश के समस्त जनपदों में निःशुल्क चलाया जायेगा।
- छोटे पशुओं जैसे भेड़ व बकरी को जलभराव क्षेत्र से बचायें। भेड़ों के पानी में भीगने के कारण उनका वजन बढ़ जाता है तथा वह बैठकर उठ नहीं पाती है जिससे उनकी पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है।
- जलभराव वाले क्षेत्रों में गायों को फुटरॉट बीमारी से बचाने हेतु उनके बाड़ों में चूना डालें तथा पोटेशियम परमैंगनेट के एक प्रतिशत घोल से खुर तथा फर्श की धुलाई करें।
- पशुओं को अन्तः कृमिनाशक तथा वाह्य परजीवीनाशक दवाई पशुचिकित्सक की सलाह पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करें।
- पशुओं को अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने पर गोबर पतला होता है जिससे इसे संरक्षित करने में कठिनाई आती है तथा यह सीधा बहकर खेत में जाने के कारण खेत में दीमक एवं अन्य कीटों के प्रकोप का कारण बनता है व इससे मृदा में कार्बन तथा नाइट्रोजन अनुपात असंतुलित होने के कारण मृदा की उर्वरकता कुप्रभावित होती है।

मत्स्य पालन

- कतला, रोहू एवं नैन प्रजातियों के मत्स्य बीज तथा सिल्वर कार्प एवं ग्रास कार्प मत्स्य प्रजातियों का मत्स्य बीज वर्तमान में उ.प्र. मत्स्य विकास निगम व निजी क्षेत्रों की हैचरियों पर उपलब्ध है अतः मत्स्य पालक जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क कर मत्स्य बीज संचय करायें। यह समय मत्स्य संचय हेतु उपयुक्त है।
- मछलियों में वृद्धि हेतु पूरक आहार का प्रयोग मछलियों के वजन के 1 से 2 प्रतिशत तक किया जाय।
- जलाशय/नदियों में 31 अगस्त तक शिकारमाही प्रतिबंधित है।
- जिन तालाबों में गन्दा पानी आ गया हो उनमें जियोलाइट 25 किग्रा./हे. की दर से बालू में मिलाकर तालाबों में डलवाएं। इससे पानी साफ हो जायेगा और बदबूदार गैसेज निकल जायेगी। ताजा पानी भी मिलायें।

- जिन तालाबों में मत्स्य बीज संचय हो चुका है उनमें प्लैकटान 5 किग्रा. प्रति हे. की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें इससे तालाब में प्लैकटान की मात्रा में वृद्धि होगी जो कि मछलियों का प्राकृतिक भोजन है।

रेशम

- शहतूती बीजू रेशम के कीटपालन में कोया उत्पादक अपने कीटपालन गृहों में क्रास वेन्टीलेशन का विशेष ध्यान रखें तथा वर्षाधारित कीटों एवं बीमारियों से बचाव के लिए मोल्ट के समय चूना तथा मोल्ट आउट के पश्चात विजेता पाउडर का प्रयोग करें।
- टसर रेशम की अम्पतिया बीजू फसल का कीटपालन में बीमारियों से बचाव के लिए भोज्य वृक्ष के आसपास ब्लीचिंग एवं चूना मिश्रण का उपयोग किया जाये।
- शहतूत एवं अर्जुन पौधों के वृक्षारोपण का कार्य करें।
- अरण्डी रेशम के उत्पादन हेतु भोज्य वृक्षों के रूप में उन्नत प्रजाति के अरण्डी बीज की बुआई ऐसे स्थान पर करें जहाँ जल-जमाव की स्थिति न हो।

वानिकी

- वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण करें।
- आम, गुलमोहर, महुआ, कटहल, जामुन, कंजी, नीम आदि के बीजों की बुआई शीघ्र कर लें। अंकुरित पौधों को रूट ट्रेनर/थैलियों में प्रतिरोपित कर रख दें।
- तालाबों की मरम्मत कर किनारों पर बांस लगायें।

आपदा प्रबंधन

- उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी वज्रपात (आकाशीय बिजली) तथा सर्पदंश से बचाव हेतु सुरक्षा के उपायों का पालन करें।
- वज्रपात के कारण हुई मृत्यु के प्रकरण में पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा रु. 4.00 लाख की अहेतुक सहायता दी जाती है। अधिक जानकारी के लिये जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें।
- सर्पदंश के कारण हुई मृत्यु के प्रकरण में पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा रु. 4.00 लाख की अहेतुक सहायता दी जाती है। सर्पदंश से मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सर्पदंश का होना आवश्यक है।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2024 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोट:- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाइट upcar.up.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां किसान मित्र ए.आई. चैट बॉट www.kisanmitraup.ai पर भी उपलब्ध हैं। किसान भाई इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल upcar12@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।



(संजय सिंह)

महानिदेशक

प्रतिलिपि: उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।

7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा, सै. हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेंगे।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

(विनोद कुमार तिवारी)

वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राफ वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024-25 की तेरहवीं बैठक
दिनांक 08 अगस्त, 2024 की उपस्थिति

1. डा. संजय सिंह, महानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
2. श्री पीयूष कुमार शर्मा, सचिव, उपकार, लखनऊ।
3. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
4. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ (ऑनलाइन)।
5. डा. विनोद कुमार तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उपकार, लखनऊ।
6. डा. जय पाल, वैज्ञानिक अधिकारी, उपकार, लखनऊ।
7. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राफ रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ (ऑनलाइन)।
9. श्री अमर सिंह, संयुक्त गन्ना आयुक्त, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
11. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आवजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
12. डा. राकेश चौधरी, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी (ऑनलाइन)।
13. डा. अनूप कुमार दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र) लखनऊ (ऑनलाइन)।
14. डा. अनिल दीक्षित, संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र, पशुपालन, उत्तर प्रदेश।
15. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
16. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
17. श्री नेत्रपाल यादव, उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान भवन, सप्रू मार्ग लखनऊ।